भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2450

13 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

टियर-2 और टियर-3 शहरों हेतु नई पहल

†2450. श्री जिया उर रहमानः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस दृष्टिकोण से सहमत है कि शहरी नियोजन में जनसंख्या की उच्च वृद्धि और अपेक्षित आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए तथा बुनियादी ढांचे के निर्माण में तेजी लानी चाहिए और बाधाओं को दूर करना चाहिए, नागरिकों को टियर-2 और टियर-3 शहरों और कस्बों की ओर जाने के लिए, अधिक विकल्प प्रदान करने के लिए उपनगरीय क्षेत्रों को विकसित करने की आवश्यकता है ताकि अधिक अवसर पैदा किए जा सकें और उन्हें विभिन्न क्षेत्रीय, औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों के केन्द्र के रूप में विकसित किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा प्रस्तावित पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग): भारतीय संविधान की 12 वीं अनुसूची के अनुसार, नगर नियोजन सहित शहरी नियोजन शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरणों का कार्य है। भारत सरकार योजनाबद्ध कार्यक्रमों/परामर्शिकाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में मदद करती है।

सरकार को बढ़ती शहरी आबादी के लिए शहरी नियोजन और शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर के विस्तार की जरूरतों की जानकारी है। शहरी क्षेत्रों के इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय 500 शहरों में जल, सीवरेज, जल निकासी, शहरी परिवहन और पार्कों जैसे मुख्य इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों पर ध्यान देते हुए अटल और नवीकरण शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) जैसी विभिन्न योजनाएं चलाता है। देश के 500 शहरों से सभी सांविधिक कस्बों/यूएलबी तक जलापूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए 1 अक्टूबर 2021 को अमृत 2.0 का शुभारंभ किया गया है। अमृत 2.0 में शहरों को 'आत्मनिर्भर' और 'जल सुरक्षित' बनाने पर ध्यान दिया जाता है। 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना अमृत 2.0 का अन्य प्रमुख कार्य है। जलाशयों का नवीकरण और हरित स्थानों एवं पार्कों का विकास इस मिशन के अन्य घटक हैं।

इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए मंत्रालय की विभिन्न अन्य योजनाओं जैसे स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) और आवास के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई - यू) के तहत निधियां आवंटित की गई हैं।

सरकार ने 2022-23, 2023-24 और 2024-25 में पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (एसएसएएससीआई) की घोषणा की है, जिसके तहत राज्यों को शहरी नियोजन सुधारों के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। एसएसएसीआई के तहत शहरी नियोजन सुधारों का ब्यौरा इस प्रकार है:

पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना 2022-23 – भाग – VI (शहरी नियोजन सुधार) : सुधार घटकों में विरोधाभासों को दूर करके तथा भूमि उपयोग को अनुकूलित करके भवन उपनियमों का आधुनिकीकरण, हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) जैसे आधुनिक शहरी नियोजन साधनों को अपनाना, स्थानीय क्षेत्र योजनाओं (एलएपी) और नगर नियोजन योजनाओं (टीपीएस) का कार्यान्वयन, पारगमन उन्मुख विकास (टीओडी) का कार्यान्वयन शामिल हैं। इसके अलावा राज्यों को स्पंज सिटी के निर्माण, सार्वजनिक परिवहन के लिए बसें चलाने से संबंधित कराधान हटाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना 2023-24 – भाग – III (शहरी नियोजन सुधार): सुधार घटकों में योग्य शहरी योजनाकारों को कार्य पर रखकर मानव संसाधनों में वृद्धि, नगर नियोजन योजना (टीपीएस)/भूमि पूलिंग योजना का कार्यान्वयन, भवन उपनियमों का आधुनिकीकरण, स्व-स्थाने स्लम पुनर्वास को बढ़ावा देना, पारगमन-उन्मुख विकास (टीओडी), नियोजन के साधन के रूप में हस्तांतरणीय विकास अधिकार, शहरी नियोजन के माध्यम से शहरी क्षेत्रों के प्राकृतिक ईकोसिस्टम को सशक्त करना, तटीय क्षेत्रों का विकास आदि शामिल हैं।

पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना 2024-25-भाग-XIII (शहरी नियोजन सुधार): सुधार घटकों में नगर नियोजन योजनाओं/भूमि पूलिंग योजना का कार्यान्वयन, भवन उप-नियमों/क्षेत्र-विशेष पहलों को युक्तिसंगत बनाना, व्यापक पार्किंग प्रतिमान, शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास, पेरी अर्बन क्षेत्रों का नियोजन, पारगमन उन्मुख विकास, प्रौद्योगिकी आधारित सुधार, शहरी नियोजन के माध्यम से जलवायु स्थिरता, पूर्वोत्तर/पहाड़ी राज्यों में पारगमन में आसानी के लिए व्यापक गतिशीलता योजना आदि शामिल हैं।

शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए, बजट 2025-26 में सरकार ने 'विकास केंद्रों के रूप में शहर', 'शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास' और 'जल एवं स्वच्छता' के प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का शहरी चुनौती कोष स्थापित करने की घोषणा की है। यह कोष बैंक योग्य परियोजनाओं की लागत के 25 प्रतिशत तक का वित्तपोषण इस शर्त के साथ करता है कि लागत का कम से कम 50 प्रतिशत बांड, बैंक ऋण और सार्वजनिक निजी भागीदारी से वित्तपोषित किया जाए।

*****